न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 41 / 2023 / बालोतरा

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. खेताराम पुत्र पुनमाराम 2. वनाराम पुत्र पुनमाराम 3. रावताराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी प्रभूनगर (सड़ा धनजी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. चनणीदेवी पत्नी हड़मानराम 2. हड़मानराम पुत्र कुंभाराम 3. प्रहलादराम पुत्र आदूराम 4. हेमाराम पुत्र आदूराम 5. हनुमानराम पुत्र भुराराम 6. मघाराम पुत्र भुराराम 7. मुलीदेवी पत्नी भेराराम 8. शेम्भूराम पुत्र लिखमाराम 9. थानाराम पुत्र भारूराम 10. भोमाराम पुत्र भारूराम 11. तुलछी पत्नी भारूराम 12. भानाराम पुत्र वीराराम 13. जोधाराम पुत्र वीराराम 14. चौखाराम पुत्र वीराराम 15. उर्जाराम पुत्र वीराराम जाति जाट निवासी प्रभुनगर (सड़ा धनजी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 16. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा 17. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार सिणधरी

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 45 / 2020 बउनवान खेताराम बनाम चनणीदेवी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार से है। जो हिन्दू विधि से शासित है। अपीलांटगण व उत्तरदाता संख्या 1 स्व. कुंभा वल्द लाला के वशंज व उत्तराधिकारी है। मौजा सड़ा धनजी वर्तमान प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 619 रकबा 342 बीघा का अपीलांटगण व उत्तरदातागण संख्या 01 से 16 की संयुक्त पैतृक का है। जिसमें

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उत्तरदाता संख्या 03 से 07 का 1/4 हिस्सा अपीलांटगण व उत्तरदाता संख्या 01 व 02 के वालिद कुम्भा वल्द लाला का 1/4 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 08 से 16 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में था। इसी अनुसार पक्षकारों के मध्य मौखिक रूप से बाहमी बंटवारा किया गया। खातेदार कुंभा वल्द लाला के दो पुत्र अपीलांटगण के पिता पुनमाराम व उत्तरदाता संख्या 02 हड़मान। जिसका कुंभा के हिस्से में आधा आधा हिस्सा है। अपीलांटगण के पिता पुनमाराम का देहान्त कुम्भाराम के जीवनकाल में हो गया था। कुम्भाराम अपने पुत्र उत्तरदाता संख्या 2 हड़मान के साथ निवास करते थे। जिसका उत्तरदाता संख्या 02 ने फायदा उठाकर गलत तरीके से अपीलांट पक्ष की बिना जानकारी में लाये छुपकर रकबा 32 बीघा का बैचान अपनी पत्नी उत्तरदाता संख्या 01 के पक्ष में करवाया गया। अपीलाधीन आराजी के सभी सहखातेदारान के द्वारा आपसी सहमति से उपतहसीलदार सिणधरी से दिनांक 22.08.2005 को विभाजन करवाया गया। उस समय अपीलांटगण के पिता बालोतरा में कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करने हेतु गये हुए थे। उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा अपीलांटगण के पिता की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठा कर विभाजन के समय उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा अपनी पत्नी के नाम से क्रय भूमि को सड़क पर तरमीम करवा दी गई। शेष कुम्भा वल्द लाला के हिस्से की भूमि सड़क से पीछे तरमीम करवा दी गई। इसलिए हस्तगत नियतमित वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जल्दबाजी में आकर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मनमर्जी से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा साक्ष्य पेश नहीं हुई तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य ली गई। साक्ष्य लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि वाद में सभी प्रतिवादीगण की तलबी जारी कर बाद तामीली प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जबाव पेश करने के बाद तनकीयात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर स्वतंत्र निर्णय पारित करे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम की जाकर तथा बिना साक्ष्य के निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को क्षेत्राधिकार का होना मानकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक पक्षकारों के विरूद्ध पारित की गई। तहसीलदार के समक्ष की गई संक्षिप्त कार्यवाही को नियमित वाद में चुनौती दी जा सकती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा की गई संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर वाद को क्षेत्राधिकार का नहीं मानकर खारिज किया गया। आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का बिन्दु विधि का शुद्ध प्रश्न नहीं होकर तथ्यों एवं विधि का मिश्रित प्रश्न होने से दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात ही निर्णीत किया जा सकता है। प्रतिवादी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित सारी आपतियां अपने जबाव दावा में उठा सकता है। जिस पर विधिक तनकी कायम की जाकर साक्ष्य सबूत से साबित कर निर्णीत की जा सकती है। प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी पक्ष की गलत उपस्थिति बताकर निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही कोई दस्तावेजात पेश किए गये, न ही कोई तनकीयात कायम की गई, न ही कोई साक्ष्य लेखबद्ध की गई, न ही साक्ष्य का कोई विश्लेषण किया गया। मात्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के आड़ में उक्त वादपत्र को यानि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना मूल वाद को खारिज किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक है। अपीलांटगण द्वारा भिन्न वंशावली पेश की गई। अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 619 रकबा 342 बीघा भूमि का पक्षकारों के बीच न्यायालय उप तहसीलदार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिणधरी के आदेश दिनांक 22.08.2005 के तहत सहमति से बंटवारा हो चुका है। उस बंटवारा की पालना में कब्जा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद भी किया जा चुका है। सहमति से विभाजन कर दिया गया है उसमें सभी पक्षकारों की सहमति है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में पुनः विभाजन का वाद पेश नहीं किया जा सकता है। सहमति से बंटवारे के आदेश में किसी प्रकार की कमी बेशी या गलती रह गई हो तो अपीलीय न्यायालय में चाराजोही की जा सकती है। हस्तगत वाद विधि विरूद्ध होने से इस न्यायालय में विचारण योग्य नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय के जरिये खारिज किया गया। पूर्व में बंटवारा हो चुका है अतः प्रकरण में वाद कारण उपलबध नहीं है। हमारा नेखमबंदी का आवेदन लंबित है। कुम्भाराम ने अपनी पुत्र वधू को रजिस्टर्ड बेचान से भूमि का विक्रय किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया। वादीगण की माता के फौत होने की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई तथा संशोधित शीर्षक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे। उत्तरदाता के अधिवक्ता अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—**RRT 2019(1) Page 417, RRT 2021(1) Page 535, RRT 2018-19(Supp.) Page 623**

सर्वप्रथम प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर निर्णय पारित करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांटस ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना—पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी पक्ष की गलत उपस्थिति बताकर निर्णय पारित किया गया है उक्त निर्णय वादी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। इस कारण उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना—पत्र पर बहस सुनने के लम्बे समय बाद वादी पक्ष को बिना सूचना दिये ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। वर्तमान में उत्तरदाता संख्या 01 व 02 के द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने लगे तब स्थगन की प्रति हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया, लेकिन प्रदेश के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर होने के कारण वादी स्वयं के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पत्रावली की जांच की तब जानकारी में आया कि उक्त प्रकरण का निर्णय हो गया है तब उसी दिन दिनांक 17.03.2023 को नकल हेतु आवेदन देकर नकल प्राप्त

(... कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की गई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी सद्भाविक रूप से जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर शुमार फरमाई जावे।

अधिवक्ता उत्तरदाता ने धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध जानबूझकर अपील विलंब से पेश की जा रही है। अपील विलंब से पेश करने का कोई सदभाविक कारण नहीं बताया गया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदु पर करने की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण/वादीगण ने हस्तगत वाद को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए पेश किया गया जबकि इस बिंदु का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है। उभयपक्ष ने बहस में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक पक्षकारों के विरूद्ध पारित की गई। मृतक पक्षकारों के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य है। उत्तरदाता के अधिवक्ता ने वक्त बहस जाहिर किया कि हस्तगत अपील की आड़ में हमारी नेखमबंदी रूकी हुई है। जबकि अपीलाधीन आराजी पूर्व में संयुक्त खातेदारी की थी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जो बाद में उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष सहमति से बंटवारा से अलग की गई। वर्तमान में नेखमबंदी के प्रकरण में कब्जे काश्त में भिन्नता आती है तो इससे साफ जाहिर होता है कि सहमति से बंटवारे में मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न रकबा बंटवारे में दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। पूर्व में हुआ बंटवारा विधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार है या नहीं इसकी जांच कराना पक्षकार का वैधानिक अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की मंशा रही है कि किसी भी समरी प्रक्रिया में कोई कमी रह जाती है तो उसे नियमित वाद से चुनौती दी जा सकती है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 89, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2020 बउनवान खेताराम बनाम चनणीदेवी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद में तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके की जांच करवाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.07.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

10/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर